DR Krishnadeo Kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email------Kdkbharti08@gmail.com
B.A.Part-3--- Date--30-05-2020
Mo.No--9234999361

अरस्तू के नागरिकता के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।*(Give a critical estimate of Aristotle's theory of Citizenship.)*

राज्य के सन्दर्भ में ही अरस्तू ने नागरिकता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।अरस्तू का मत है कि राज्य के स्वरूप के समान नागरिकता का स्वरुप भी अनिश्चितत है।जिस प्रकार राज्य के अनेक स्वरूप है उसी प्रकार नागरिकता के भी है।इसके अतिरिक्त सभी व्यक्ति नागरिकता शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं करते।

अरस्तू का मत है कि निवास स्थान, कानूनी अधिकार, जन्म के आधार आदि पर नागरिकता की परिभाषा नहीं की जा सकती है।उनके विचार से इसका मुख्य कारण यह है कि नागरिकता का अनिवार्य आधार है---नागरिक का कार्य।इस कार्य का सम्बन्ध है न्याय और शासन से।यदि एक व्यक्ति न्याय और शासन के कार्यो में भाग लेता है तो वह नागरिक हैं अन्यथा नहीं।अपनी इस मान्यता के कारण अरस्तू ने नागरिक को परिभाषित करते हुए कहा है-- "जो मनुष्य, न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भागीदार है वही नागरिक की सर्वोत्तम परिभाषा की केवल वहीं एक कसौटी है।"

अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा के अनुसार नागरिकों की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं----

1. नागरिक कार्यपालिका के सदस्य के रूप में राजकीय पदों को ग्रहण करके प्रशासन में भाग लेता हैं।
2. नागरिक न्यायपालिका के सदस्य के रूप में न्यायधीश या पंच का कार्य करके न्याय के प्रशासन में भाग लेता है।
3. नागरिक व्यवस्थापिका या सधारण सभा के सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके कानूनों के निर्माण में भाग लेता है।

इस तरह अरस्तू ने केवल शासन सम्बन्धी कार्यो में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नागरिक माना है।राज्य के भेद व्यक्तियों को उसने नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा है।अरस्तू के नागरिकता के सम्बन्ध मे प्रकाश डालते हुए फॉस्टर ने लिखा है--"सर्वोच्च अर्थ में नागरिक वही है जो राज्य के सम्मानपूर्ण कार्यो भाग लेता है जो इन कार्यो मे भाग लेने से वंचित कर दिया गया है, उसकी स्थिति विदेशी से अच्छी नहीं है।

राज्य के सम्मानपूर्ण कार्यो अथवा शासक सम्बन्धी कार्यो से वंचित किए जाने वाले व्यक्ति है--स्त्री दास,बालक, मिस्त्री और श्रमिक।अरस्तू ने इन सबों को नागरिकता के अधिकार से वंचित इसलिए रखा गया है कि राज्य की नीति और कानूनों का निर्माण करने,न्याय का प्रशासन और राज्य पदों पर कार्य करने के लिए व्यक्ति में अन्य कोटि के बौद्धिक और नैतिक गुणों का होना अनिवार्य है।ये गुण राज्य के प्रत्येक निवासी मे नहीं पाये जाते, अतः सभी को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती।

अरस्तू यह भी कहते है कि नागरिकता के लिए अवकाश का होना जरूरी है।श्रमिकों और दासों को अवकाश नहीं मिलता, फलतः वे अपनी बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास नहीं कर पाते हैं।इन गुणों के अभाव में उनको नागरिकता के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता।अरस्तू के नागरिकता के सन्दर्भ मे मैकिलवेन ने कहा है कि- *The true citizen is found only in the ideal State and ideal State exists nowhere upon earth.*

आलोचनाएँ----

*1.*अरस्तू का नागरिकता का सिद्धान्त अपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों के कत्तव्यों का तो विशद वर्णन करता है परन्तु उसके अधिकारों का उल्खेख नहीं करता।
*2.*अरस्तू का नागरिकता का सिद्धान्त अनुदार है, क्योंकि यह नागरिकता का अधिकार नगर के कुछ ही व्यक्तियों को देता है सभी को नहीं।
3. सभी को नागरिकता का अधिकार नहीं दिए जाने के कारण अरस्तू का नागरिकता का सिद्धान्त अप्रजातांत्रिक है।
4. अरस्तू का नागरिकता का सिद्धान्त अमानवीय है, क्योंकि यह निम्न वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता से प्राप्त होने वाले उन्नति के अवसरों से दूर रखकर उसकी व्यक्तिगत उन्नति और उनके व्यक्तित्व के विकास को कुण्डित करता है।

आगे, धन्यवाद।

2020-05-30
From vivo Notes

Scanned with CamScanner